

सत्यनषिठ समझौता

प्रलिस के लयल:

केंद्रीय सतरकता आयोग (CVC), 'सत्यनषिठ समझौता', भ्रषुटाचार नवलरण अधनलयल, 1988 ।

मेनुस के लयल:

भ्रषुटाचार से नषलटने के लयल उठाए गए कदम

चरुा में क्युं?

हाल ही में **केंद्रीय सतरकता आयोग (CVC)** ने सरकारी नकलयुं में स्वतंतुर बाहरी नगरलनीकरुता (IEM) के नामांकन के मानदंड में संशुधन कयल है ।

- यह संशुधन कुुछ महीने बाद आया जब इसने 'सत्यनषिठ समझौता' खंड को अपनाने और लागू करने के लयल एक संशुधन मानक संचालन प्रकरयल जारी की थी, जो सार्वजनक खरीद में भ्रषुटाचार को रोकने के लयल है ।

प्रमुख बलदु

- **सत्यनषिठ समझौता:**
 - 'सत्यनषिठ समझौता' संभावतल वकलरेताओं / बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की परकल्लपना करता है, जो दोनों पकरुं के वुकरुतयलुं और अधकलरयलुं को अनुबंध के कसलसी भी पहलू या चरण में कसलसी भी भ्रषुट वुकरुतलर का सहारा नहीं लेने के लयल प्रतलबलदुध करता है ।
 - खंड के कसलसी भी उल्लंघन में बोलीदाताओं की अयोगुतल और भवषुय के वुकरुतलरकल सौदुं से बहषुकरण शामिल है ।
 - यह समझौता सार्वजनक खरीद में पारदरुशलता, इकुवर्तल और प्रतलसुपरदुधलतुमकतल भी सुनशुचतल करता है
- **स्वतंतुर बाहरी नगरलनीकरुता:**
 - IEM स्वतंतुर रूप से और नषुपकरुष रूप से दसुतावेओं की समीकरुष करते हैं तलक यह नरुधरतल कयल जा सके कल पलरुटयलुं ने समझौते के तहत अपने दलयतुलुं का पालन कयल है या नहीं ।
 - वे कसलसी भी अनुबंध से संबधतल शकलयतुं की ऑच के बाद संबधतल अधकलरयलुं को सफलरशुं देते हैं ।
 - यदलवे **भ्रषुटाचार नवलरण अधनलयल, 1988** के प्रलवधलनुं के तहत गंभीर अनयलमतलताएँ पाले हैं, तो संबधतल संगठन के मुखुय करुतलरकल को या सीधे 'मुखुय सतरकता अधकलरी' (CVO) या फरल CVC को रपुलरुट प्रसुतुत कर सकते हैं ।
- **IEM नयल संशुधन:** IEM के रूप में सूचीबदुध करने हेतु कनल लुगुं पर वकलर कयल जलएगा, उनकी सूची में संशुधन कयल गया है । इसमें अब शामिल हैं:
 - अधकलरी जो भारत सरकार के तहत अतरकलतु सचवल कल पद धरण कर चुके हैं;
 - जो अनुसूची 'A' सार्वजनक कषुतुर के उदुतुं के अधुकरुष-सह-प्रबंध नदलशक (CMD) थे ।
 - सेवलनवुतुतल के समय केंदुर सरकार के अतरकलतु सचवल के समककरुष/उचुचतर वुकरुतल
 - सेवलनवुतुतल के समय सार्वजनक कषुतुर के बैंकुं, बीमा कंनयलुं और अनुय वतुतुतल संसुथलनुं के CMDs/MDs और मुखुय करुतलरकल अधकलरी (CEOs) ।
 - सशसुतर बलुं के अधकलरी जो सेवलनवुतुतल के समय अतरकलतु सचवल के समककरुष या उससे अधकल वेतनमान पर थे ।

केंद्रीय सतरकता आयोग

- केंद्रीय सतरकता आयोग (CVC) एक शीरुषसुथ सतरकता संसुथलन है जो कसलसी भी करुतलरकल प्रलधकलरी के नरुतुरण से मुकत है तलह केंद्रीय सरकार के अंतुरगत सभी सतरकता गतवधलधुं की नगरलनी करता है । सलथ ही यह केंद्रीय सरकारी संगठनुं में वभलनन प्रलधकलरयलुं को उनके सतरकता करुतलुं की यओजना बनाने, उनके नषुपलदन, समीकरुष एवं सुधलर करने के संबध में सललह देता है ।
 - यह एक स्वतंतुर नकलयु है, जो केवल संसद के प्रतलउतुतरदलयी है ।

- सरकार द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार नरिोधक समतिका सफारशों के आधार पर की गई थी ।
- वर्ष 2003 में केंद्रीय सतरकता आयोग अधनियिम (The Central Vigilance Commission Act) द्वारा आयोग के सांवधिकि दरजे की पुष्टिकर दी गई ।

स्रोत: द हद्वि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/integrity-pact-1>

